भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3220

(दिनांक 11.03.2026 को उत्तर के लिए)

वरिष्ठ और नीतिगत पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कम प्रतिनिधित्व

3220. डॉ. मल्लू रवि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त सचिव स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व आनुपातिक रूप में कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पदोन्नति का अवरोध (स्टैग्नेशन) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सामाजिक श्रेणी के अनुसार पदोन्नति में लगने वाले समय का ध्यान रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या उक्त प्रकार के प्रतिनिधित्व की कमी नागरकुरनूल जैसे निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति नीतिगत संवेदनशीलता को प्रभावित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ङ) क्या कैडर समीक्षा प्रणाली द्वारा इस असंतुलन को दूर किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : इस संबंध में आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) : सरकार की नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समूह 'क' के सबसे निचले पायदान/स्तर तक पदोन्नति में क्रमश: 15% और 7.5% आरक्षण दिया जाता है। मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुदेश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों एवं उनके अंतर्गत आने वाले संगठनों से यह अनुरोध किया गया है कि वे एससी/एसटी से जुड़े मामलों के संबंध में कम से कम उप सचिव के रैंक के किसी अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करें। मंत्रालयों/विभागों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक आरक्षण प्रकोष्ठ (सेल) का सृजन करें ताकि उसे अपने कर्त्तव्यों का प्रभावपूर्ण ढंग से निर्वहन करने में सहायता मिल सके। मंत्रालयों/विभागों को डीपीसी बुलाने हेतु अग्रिम में अनुदेश भी जारी किए गए हैं ताकि रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरा जा सके।

मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार, एससी और एसटी का कुल प्रतिनिधित्व क्रमश: 15% और 7.5% से अधिक है।

(ङ.) : संवर्ग (कैडर) समीक्षा एक आवधिक प्रशासनिक तंत्र है, जो पहले से परिभाषित सिद्धांतों के अनुसार, किसी सेवा को निरंतर बदलती हुई संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं कार्मिक आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए की जाती है।

****